

**बजट अनुमान 2015-16 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान (रू. हजार में)
122	अधीक्षण	22,05,86
1111	आबकारी सामग्री की खरीद	1,20,00
1470	जिला कार्यपालिक स्थापना	44,82,42
1480	जिला प्रभार	13,42,30
1509	जिला स्थापना	50,07,16
2455	न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	3,00,00
2456	न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	3,00,00
2956	बिक्री कर	24,00
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	9,43,20
4034	विभागीय मदिरा दुकानों को संचालन	10,18,25
4173	स्पिरिट की खरीद	10
4606	स्टाम्प एवं पंजीयन	4,56,00
4608	स्टाम्प और पंजीयन	73,00
4611	स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	30,00
4612	स्टाम्पों की लागत	1,20,00
4613	स्टाम्पों के साथ प्रयोग में आने वाले सादे कागज का क्रय	2,00
4614	स्टाम्पों के साथ प्रयोग में आने वाले सादे कागज पर बट्टा	20
6003	मुख्यालय की स्थापना	1,77,95
6734	विभागीय रासायनिक प्रयोग शाला	7,32
6810	वाणिज्यकर अधिकरण	98,40
7419	मिशन मोड परियोजना	1
7428	छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम १९८२ के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	30,00,00
7429	छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण	90,00,00
8036	आबकारी विभाग	1,23,00
8629	नये सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन	3,00,00
<b>योग</b>		<b>291,31,17</b>